लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 284
उत्तर देने की तारीख : 20.07.2021

ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा

284. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. जयंत कुमार राय:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री भोला सिंह:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने के संबंध में विभिन्न समाज कल्याण संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की ओर से प्रतिनियुक्ति पर उनके आवेदनों को अग्रेषित न करने की अनुचित प्रथा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार को ओबीसी की राज्य सूची की पहचान करने का अधिदेश दिया है;
(च) यदि हां, तो क्या सरकार इसे बहाल करने के लिए संवैधानिक उपबंध में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और
(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (ग): जी हां। ओबीसी में क्रीमी लेयर सुनिश्चित करने के लिए आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ): जी, नहीं।

(ङ.): उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 3123/2020 में 05 मई, 2021 के अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 342क के उपबंधों के अनुसार राज्यों को ओबीसी की अलग राज्य सूची बनाए रखने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 342क के तहत अधिसूचित केंद्रीय सूची प्रत्येक राज्य और हरेक संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के सभी उद्देश्यों हेतु एकमात्र सूची होगी।

(च) और (छ): मामला जांच के अधीन है।

******